

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सहारनपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक 17-अगस्त, 2020

विषय:- कोरोना वायरस (कोविड-19) के परिप्रेक्ष्य में जनपद सहारनपुर में फंसे हुए अन्य जनपदों/प्रान्तों के श्रमिकों/व्यक्तियों को उनके गृह प्रान्तों में रेल मार्ग से पहुँचाने हेतु रेल विभाग को भुगतान की धनराशि के समायोजन हेतु धनावंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, सहारनपुर के पत्र संख्या-1804/श्रमिक रेल किराया भुगतान /दौआ0/2020-21 दिनांक 22.07.2020 में अवगत कराया गया है कि जनपद सहारनपुर में अन्य प्रान्तों/जनपदों के फंसे मजदूरों, छात्रों एवं अन्य लोगो को उनके गृह जनपद/प्रान्त में भेजने हेतु ट्रेनों के संचालन पर हुए व्यय की तात्कालिकता के दृष्टिगत टी0 आर0-27 के अन्तर्गत आहरण कर रेलवे विभाग को रु0 25,32,240.00 की धनराशि का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान की गयी धनराशि को जिला कोषागार में समायोजन किये जाने हेतु आवंटन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व अनुभाग-10 के पत्र संख्या-250/एक-10-2020-33(05)/2020, दिनांक 25.05.2020 द्वारा कोविड -19 के दृष्टिगत लाक डाउन अवधि में उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में अवरुद्ध/फंसे श्रमिकों/कामगारों को उनके गन्तव्य स्थान तक पहुँचाने के लिए ट्रेन संचालन हेतु रु0 50.00 करोड़ की धनराशि उत्तर रेलवे को भुगतान हेतु राहत आयुक्त उ0 प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर रखी गयी है।

3- अतः जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा किये गये उक्त अनुरोध के क्रम में पत्र दिनांक 25.05.2020 द्वारा उत्तर रेलवे के भुगतान हेतु राहत आयुक्त उ0 प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर रखी गयी रु0 50.00 करोड़ की धनराशि में से रु0 25,32,240.00 की धनराशि निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी सहारनपुर के निवर्तन रखे जाने हेतु आवंटित/स्वीकृत की जाती है:-

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।
- (2) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (3) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2021 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2021 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत उक्त धनराशि के व्यय का विवरण निर्धारित प्रारूप पर राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

- (5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।
- (6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
- (7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आदेश समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्यय के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)

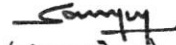
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 514 (1) /एक-10-2020-33(05)/2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. राहत आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. मण्डल रेल प्रबन्धक, उत्तर रेलवे, लखनऊ।
7. प्रवीण कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र, दिल्ली शासन, नई दिल्ली।
8. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
9. कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ/सहारनपुर।
10. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(संजय गोयल)

सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-17/08/2020

प्रेषण संख्या:- 514
आवंटन आदेश संख्या:- 132-33
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	सहारनपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2532240 106532240	2532240 106532240
	योग	वर्तमान प्रगामी	2532240 106532240	2532240 106532240

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पच्चीस लाख बत्तीस हजार दो सौ चालीस

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दस करोड़ पैसठ लाख बत्तीस हजार दो सौ चालीस

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन